रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग –खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 1967/वैशाख 20, 1889

No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 1967/VAISAKHA 20, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1967

G.S.R. 709.—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Passports Ordinance, 1967 (4 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) **Short title and commencement.**—These rules may be called the Passports Rules, 1967.

(2) They shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Form" means a form set out in the Schedule;

(b) "miscellaneous service" in relation to a passport or travel document includes—

(i) varying the entries in a passport or travel document;

(ii) making fresh endorsement on a passport or travel document in respect of additional foreign countries;

(iii) issue of a duplicate passport or travel document in lieu of a passport or travel document which has been lost, stolen or damaged;

(iv) any other service in respect of a passport or travel document which the holder thereof may require;

(c) "Ordinance" means the Passports Ordinance, 1967;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(e) "section" means a section of the Ordinance.

3. **Passport authorities.**—(1) In addition to the Central Government, the officers specified in column 2 of Schedule I shall, subject to the provisions of sub-rule (2), be the passport authorities for all purposes of the Ordinance and these rules.

(2) Nothwithstanding anything contained in sub-rule (1) an officer referred to in column (2) of Schedule I shall, for the purpose of issue of a passport or travel document, exercise jurisdiction in respect of applications for such issue made by persons ordinarily residing in the States specified in the corresponding entries in column 3 of the said Schedule:

Provided that in exceptional and urgent cases the said officer may entertain an application for the issue of a passport or travel document from a person residing in any other State and may issue a passport or travel document for a period not exceeding six months.

4. **Classes of persons to whom the classes of passports and travel documents may be issued.**—The classes of persons to whom the classes of passports and travel documents referred to respectively in sub-section (1) and sub-section (2) of section 4 may be issued shall be as specified respectively in Part I and Part II of Schedule II.

5. **Forms of applications.**—An application for the issue of a passport or travel document or for the renewal thereof or for any miscellaneous service shall be made in the Form set out for the purpose in Schedule III and in accordance with the procedure and instructions set out therein.

6. **Financial guarantee.**—An application for the issue of a passport or travel document shall be accompanied by a guarantee executed in the Form set out in Schedule IV:

Provided that no such guarantee shall be necessary in respect of an applicant in the following cases, when he,—

(i) furnishes a certificate from a Stipendiary Magistrate of the First Class or from an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government;

(ii) pays income tax or property tax;

(iii) furnishes an entry permit issued by a foreign Government in his favour;

(iv) proceeds out of India under the Indian Emigration Act, 1922 (7 of 1922) and the employer has furnished the required security deposit;

(v) proceeds to the United Kingdom on an employment voucher;

(vi) proceeds on scholarship or fellowship;

(vii) proceeds on pilgrimage or for other purpose to neighbouring foreign countries;

(viii) furnishes a ticket in proof of the journey to a foreign country and return therefrom.

7. **Fee payable on applications.**—The fee payable on every application made under rule 5 shall be at the rates specified in Schedule V.

8. **Collection of fees.**—All fees payable in respect of such applications shall be remitted by money order to, or paid in cash at the counter of, the passport authority concerned, stating in the coupon or receipt the particulars in respect of which such fees have been remitted or paid.

9. **Forms of passports or travel documents.**—A passport or travel document issued under the Ordinance shall be in the Form set out for the purpose in Schedule VI.

10. **Duration of passports or travel documents.**—(1) An ordinary passport shall continue in force for a period of three years from the date of issue.

(2) An emergency certificate shall continue in force for a period of six months from the date of issue.

(3) An identity certificate shall continue in force for a period of one year from the date of issue.

11. **Issue of additional passports or travel documents in special circumstances.**—A person holding a passport or travel document shall not be entitled to another passport or travel document unless he surrenders to the passport authority the passport or travel document already held by him:

Provided that separate passports or travel documents may be issued to the same person in respect of different countries if it is necessary so to do for facilitating his visits to such countries.

12. **Appellate authorities.**—For the purposes of the Ordinance and these rules, the appellate authority to whom an appeal shall lie from an order specified in column 1 of the Table below shall be that specified in the corresponding entry of column 2 thereof:—

Orders appealed against	Appellate authority
1	2
1. An order of the passport authority other than the Central Government under— (*a*) clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 5; or (*b*) clause (b) of the proviso to section 7; or (*c*) sub-section (1) or sub-section (3) of section 10.	The Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi.
2. An order under sub-section (6) of section 10 of the authority to whom the passport authority is subordinate.	Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi.

13. **Fee payable in respect of appeal.**—Every petition for appeal shall be accompanied by a fee of twenty-five rupees which shall be paid in cash at the treasury and a copy of the receipted challan shall be enclosed with such petition.

14. **Procedure to be followed by appellate authority.**—On receipt of an appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the authority who passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of representing his case pass final orders.

SCHEDULE I

(*See* rule 3)

Serial No.	Passport Authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	(*a*) Regional Passport Officer, Bombay, (Regional Passport and Emigration Office, Bombay)	The States of Maharashtra and Gujarat.
	(*b*) Assistant Passport Officer, Bombay, (Regional Passport and Emigration Office, Bombay).	Do.

(1)	(2)	(3)
	(c) Public Relations Officer, Bombay, (Regional Passport and Emigration Office, Bombay).	The States of Maharashtra and Gujarat.
2	(a) Regional Passport Officer, Calcutta, (Regional Passport and Emigration Office, Calcutta).	The States of West Bengal, Bihar, Orissa, Assam (including North East Frontier Tract) and Nagaland and the Union territories of Tripura and Manipur.
	(b) Public Relations Officer, Calcutta, (Regional Passport and Emigration Office, Calcutta).	Do.
3	(a) Regional Passport Officer, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	The Union territories of Delhi, Himachal Pradesh and Chandigarh and the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir and Rajasthan.
	(b) Assistant Passport Officer, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi).	Do.
	(c) Public Relations Officer, Delhi, (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi)	Do.
4	(a) Regional Passport Officer, Lucknow, (Regional Passport Office, Lucknow).	The States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
	(b) Public Relations Officer, Lucknow, (Regional Passport Office, Lucknow).	Do.
5	(a) Regional Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	The States of Madras, Andhra Pradesh, Mysore, Kerala and the Union territories of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Pondicherry
	(b) Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	Do
	(c) Public Relations Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	Do
6	Chief Secretary, Union territory of Goa, Daman and Diu, Panaji	The Union territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
7	Chief Commissioner, Union territory of Andaman and Nicobar Islands	The Union territory of Andaman and Nicobar Islands
8	Consular Officer in an Indian Mission/Post outside India.	The area within the Consular jurisdicton of the Indian Mission or post concerned.

IndiaCode

SCHEDULE II

(See rule 4)

PART I—PASSPORTS

Classes of Passports	Classes of persons to whom issuable
1	2
I Ordinary Passports	Citizens of India.
II Official Passports	(1) Government officials and non-officials when their passages are paid by the Government and the members of their families, when such members also proceed out of India at the expense of Government;
	(2) officials of the Reserve Bank of India, the State Bank of India, Corporations and Undertakings owned or controlled by the State, proceeding out of India for technical training;
	(3) permanent Government officials on deputation to foreign Governments, the United Nations Organisation and its specialised Agencies and the members of their families, provided such deputation is arranged through the Government of India,
	(4) Government officials sponsored by the Ministries in the Government of India and their departments, for attending international conferences, seminars and meetings or for undergoing training either independently or under any of the scholarships schemes for the time being in force where the deputation out of India is treated as duty and they are allowed to draw their duty pay and allowances in India;
	(5) an immediate relative of an officer belonging to the Indian Foreign Service such as widowed mother, widowed mother-in-law, dependant sister, dependant brother and not a distant relative such as cousin, uncle or aunt, subject to the condition that the relative is dependant on the Officer and is proceeding out of India with a view to reside with the officer in the place to which he is deputed.
	Note—The following persons shall not be entitled to the issue of official passports namely :—
	(a) employees of the Indian Airlines Corporation and the Air-India International Corporation,
	(b) persons sponsored by Government department for attending international conferences, seminars and meetings or for studies or training outside India either independently

1	2
	or under any of the scholarship schems for the time being in force when such persons go on study leave or leave of any other kind;
	(c) persons proceeding outside India at their own expense on commercial and other purposes although a department of the Government certifies that such purpose would be to Government interest.
III. Diplomatic Passports	(1) Officers of the Indian Foreign Service;
	(2) A person having diplomatic status either because of the nature of his foreign mission or because of the position he holds;
	(3) Following members of the family of an officer of a person referred to in item (1) or item (2) above when travelling with or joining such officer or person at Government expense:—
	Wife or official hostess, as the case may be, husband, son and daughter.

PART II—TRAVEL DOCUMENTS

Class of Travel Documents	Classes of persons to whom issuable
1	2
I. Emergency Certificate	Citizens of India outside India who have been refused passports or whose passports have been impounded or revoked.
II. Certificate of Identity	Persons exempted under section 21 from the provisions of clause (a) of sub-section (2) of section 6.

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA(P) 1

Application for the issue of an Ordinary Passport

(To be made in duplicate)

To

The Regional Passport Officer .....

Duplicate application submitted on——————— through

The District Magistrate,
The Deputy Commissioner,
The Collector,
The Sub-Divisional Officer,
The Commissioner of Police,
.....

Sir,

I hereby apply for an Ordinary Passport. The passport fee of Rs. 15.00 has been remitted by Money Order/paid and the receipt No..... dated .... issued at ..... is attached herewith.

I solemnly declare that I am a citizen of India and I have not lost, surrendered or been deprived of my citizenship of India and that the information given by me in reply to the Questionnaire is true.

Yours faithfully,

Place.....
Date.....

.....
(Signature of applicant)

QUESTIONNAIRE

Particulars and Description

1. Full name, with alias, if any (in capital letters).
2. Have you ever changed your name? If so, what was your previous name(s)?
3. Are you married or single?
4. If married woman/widow—
   (a) State maiden name
   (b) State husband's or late husband's nationality, name and place of birth and address.
   (c) If married to a person who is not a citizen of India, state place and date of marriage.
5. (a) Place (village, town district etc.) of birth.
   (b) Date of birth (attach documents in support, if available.)
6. (a) Permanent address
   (b) Present address
7. (a) Profession
   (b) Present occupation giving full details including monthly income.
8. Educational Qualifications.
9. Personal particulars:—
   (i) of applicant.....
   (a) Height (in M. Cm.)
   (b) Colour of eyes
   (c) Colour of hair
   (d) Visible distinguishing marks, if any.
   (ii) of children, if to be included in the passport.

	Full Name	Date of birth*	Sex
1.			
2.			
3.			
4.			

*Please attach three certified copies of photographs (size approximately 3.5 Cm × 3 Cm.) and a birth certificate of each child.

10. (a) Father's name
    (b) Place and date of birth. If the date of birth is not known, approximate age

11. (a) What was your father's nationality—
    (i) at the time of your birth?
    (ii) on the 26th January, 1950?
    (b) If he had acquired alien nationality when did he do so? Particulars of any travel document held by him.

12. Mother's name and place and date of birth?

13. How long have you been continuously residing in India?

14. Have you at any time resided abroad, including Pakistan? State countries and periods. If resident in Pakistan, date of migration therefrom.

15. What was your occupation while residing abroad?

16. Were you ever repatriated at Government expense from any country abroad? If so, give particulars and state whether you have reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation giving date and place of reimbursement.

17. National Status:
    (a) What is your nationality?
    (b) Are you a citizen of India by birth?
    (c) Are you a citizen of India by registration/naturalization? If so, attach certificate.

18. Did you ever possess any other nationality? if so, what?

19. Have you (or any your of children, if to be included in the passport) been convicted by a court in India for any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years. If so give date and particulars.

20. Have you (or your children, if to be included in the passport) held or been included in a passport or travel document before? If so, give particulars (number, place and date of issue). Have the particulars been deleted in the passport or travel document and if so, by whom? Give evidence in support.

21. Have you ever applied for a passport? If so, give the following particulars:
    (a) Authority to whom application was made.
    (b) Whether passport was issued/refused.
    (c) If issued, give passport particulars.
    (d) Whether the passport was ever impounded or revoked.

22. Names of countries for which passport is required?

23. What is the purpose of your visit abroad?

24. How do you propose to support yourself outside India?

25. Addresses in India during the last two years.

IndiaCode

26. Names and addresses of two responsible persons in your locality who would be prepared to vouch for you.

Verification Certificate

I hereby certify that I have known Shri/Shrimati/Kumari———————— son/wife/daughter of ———————— for more than two years. The applicant is financially sound.

I have satisfied myself that the particulars furnished in the passport application are correct to the best of my knowledge.

I regard the applicant a suitable person to be considered for the issue of a passport.

Office.....

Telephone:

Signature.....

Name in block letters:

Designation

Office Seal:

Residence.....

Place.....,

Date.....

Caution: This is an important document and should be signed after due consideration (To be signed by an Officer not below the rank of Deputy Secretary or Stipendiary Magistrate First Class).

Specimen Signature

(For Official use only)

Remarks:—

Signature..... .....

Date.....

Seal

(For use of Protector of Emigrants)

Signature.....

Date .....

Seal

(Orders of Regional Passport Officer)

Seal

Signature.....

Date .....

SCHEDULE III

(*See rule* 5)

FORM EA(P) 2

Application for the issue of an Ordinary Passport on behalf of a person below 18 years of age

(To be made in duplicate)

To

The Regional Passport Officer,.....

Duplicate application
submitted on————————
through

The District Magistrate,
The Deputy Commissioner,
The Collector,
The Commissioner of Police

Sir,

I, the undersigned .. ..

4. Personal particulars:

(a) Height ..... m ..... cm.

(b) Colour of eyes .....

(c) Colour of hair .....

(d) Visible distinguishing marks, if any .....

4. (a) Educational qualification (attach attested copy of certificate, if any).

5. Father's name, place and date of birth, and nationality at the time of birth of person on whose behalf application is being made.

6. Mother's name, place and date of birth, and nationality.

7. Husband's name, place and date of birth and nationality.

8. Length of continuous residence in India, with dates and places of residence.

9. Has he/she at any time resided abroad including Pakistan? State countries and periods. If resided in Pakistan, date of migration therefrom.

10. National status.

(a) What is his/her nationality?

(b) Is he/she a citizen of India by birth?

(c) Is he/she a citizen of India by registration/naturalization? If so, attach certificate.

11. Did he/she ever hold a passport or travel document before? If so, give particulars (number, place and date of issue).

N.B.—If still in his/her possession, the passport or travel document should be attached to this application. If not, state what has happened to it.

12. What is the purpose of the visit abroad? Give full details.

13. What is the country of final destination? What countries will he/she be touching or passing through?

14. Has he/she been convicted by a court in India for any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years; If so, give date and particulars.

15. Names and addresses of two responsible persons in the locality who would be prepared to vouch for the applicant:

(1)

(2)

Specimen signature of the person on whose behalf the application is being made.

(For Official use only)

REMARKS:—

Seal

Signautre ... .

Date .. ..

(For use of Protector of Emigrants)

Seal

Signautre ... .

Date .. ..

(Orders of Regional Passport Officer)

Seal

Signautre ... .

Date .. ..

SCHEDULE III

(See rule 5)

FORM EA (P) 3

Application for the Issue of a Diplomatic Passport/Official Pasport.

1. (a) Surname (in block letters).
   (b) Personal and/or other names, if any (in block letters).
   (c) Aliases, if any (in block letters).
2. Profession.
3. Present appointment.
4. Permanent home address.
5. Present address.
6. (a) Place (village, town district etc.) of birth.
   (b) Date of birth.
7. Father's/husband's name
8. Personal Particulars:—
   (i) of applicant
      (a) Height .....
      (b) Colour of eyes .. ..
      (c) Colour of hair .. ..
      (d) Visible distinguishing marks, if any

IndiaCode

(ii) of child/children, if to be included in the passport.

Full name	Date of birth	Sex
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

9. Particulars of passport, if any, held at present.

N.B.—The passport should be submitted together with this application.

10. Countries to be visited on official duty, with the exact nature of the duty and duration of stay:

Name of country	Exact nature of official duty	Period of stay giving approximate dates

11. Mode of travel and route:

Place .....

Date .....

.....

Signature of applicant .....

(To be filled if applicable)

I certify that .....
(full name and designation)
is proceeding out of India on official duty as indicated under item 10 above.

Place .....

Date .....

.....

Signature of Head of Office

Designation .....

Specimen signature of applicant.

IndiaCode

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA (P) 4

Application for the Issue of an Emergency Certificate

I, the undersigned .... at present residing at ..... hereby apply for the issue of an Emergency Certificate for travel to India.

I solemnly declare that I was born at .... on .....

I am a citizen of India.

I solemnly declare that all the particulars given by me in respect of this application are true.

I hold .... passport/travel document No..... dated ..... issued at ..... by ..... which is surrendered herewith; or

I do not have any passport or travel document.

Presonal Particulars

1. Full name, with aliases, if any (in capital letters).
2. Have you ever changed your name? If so, what was your previous name?
3. If married woman/widow
   (a) State maiden name
   (b) State husband's or late husband's nationality, name and place of birth.
   (c) If married to an alien, state place and date of marriage.
4. (a) Place (Village, town, district etc.) of birth:
   (b) Date of birth:
5. Present national status.
6. Name of father.
7. Profession.
8. Address in India.
9. Address abroad.
10. Height.
11. Colour of Hair.
12. Colour of eyes.
13. Visible distinguishing marks, if any.
14. If held a passport or travel document and not surrendered along with this application, the reasons therefor.

.....

Specimen signature of applicant

.....

Signature of applicant

Date.....

Particulars of child/children below the age of fifteen accompanying:—

Name Date of birth sex

IndiaCode

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA (P) 5

Application for the Issue of a Certificate of Identity

I, the undersigned..... at present residing at .....hereby apply for a Certificate of Identity for travel to .....

I solemnly declare that I was born at ..... on the.....

I am of .....nationality/stateless, and have not obtained a passport because.....

I solemnly declare that all the particulars given by me in respect of this application are true.

I further declare that I have no other passport or travel document in my possession.

I attach the following documents:—

Residential Permit.

Three unmounted Passport size photographs—one copy duly countersigned by the Local Police Authority.

Personal Particulars

1. (a) Surname (in block letters)
   (b) Personal and/or other names, if any (in block letters).
   (c) Aliases, if any (in block letters)
2. Place and date of birth.
3. Nationality of origin.
4. Present National Status.
5. Name of father.
6. Name of mother.
7. Profession.
8. Present occupation.
9. Period of residence in India.
10. Last permanent address abroad.
11. Present address.
12. Height.
13. Colour of hair.
14. Colour of eyes.
15. Visible distinguishing marks, if any.

.....
Specimen signature
of applicant.

.....
Signature of applicant

Dated .....

Particulars of child/children below the age of fifteen accompanying:—

Name Date of birth Sex

IndiaCode

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA(P) 6

Application for the Renewal of a Passport or Travel document

NOTE.—Application for renewing the period of validity of a passport must be made direct to the passport authority in India or to an Indian Mission Post outside India.

I ..... the undersigned at present residing at.....' hereby apply for renewing the period of validity for a further period of..... year(s) of passport or travel document No. ..... issued to me at..... on the .....

I have paid the prescribed fee in cash at the counter/remitted the fee by Money Order and Receipt No. ..... dated ..... issued at .....'... is attached for reference.

*I declare that I have not lost or surrendered my citizenship of India since the above passport or travel document was issued to me.

I solemnly declare that all the particulars given by me in respect of this application are true.

I further declare that I have no other passport or travel document in my possession.

Particulars of Applicant

1. Full name (in block letters) ——————————
2. Place and date of birth ——————————
3. Permanent Address——————————
4. Profession and present occupation—————————— (Give details)
5. Whether married or single——————————
6. If married woman/widow:—
   (a) Maiden name——————————
   (b) Husband's/late husband's nationality, name and place of birth——————————
   ——————————
7. Purpose for which Reneval is Required——————————
   ——————————

Date——————————

(Signature of applicant.)

*To be filled in when applicable.

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA(P) 7

Application for additional endorsements

1. Full name ——————————
2. Son/wife/daughter of ——————————
3. Address ——————————
4. Profession ——————————
5. Present occupation —————————— (Giving full details)

IndiaCode

6. Educational qualifications ——————————

7. Number, date and place of issue of passport/travel document held and date upto which it is valid ——————————

8. Countries for which valid ——————————

9. Country/countries for which additional endorsement now required ——————————

10. Reasons for additional endorsement asked for ——————————

11. Amount of fee, if any, paid and particulars thereof ——————————

Dated ——————————

——————————

Signature of applicant.

SCHEDULE II

(See rule 5)

FORM EA(P) 8

Application for miscellaneous services

1. Full name ——————————

2. Father's/husband's name ——————————

3. Address ——————————

4. Number, date and place of issue of passport or travel document held and date upto which it continues in force

5. Nature of service required ——————————

6. Amount of fee, if any, paid and particulars thereof ——————————

Date ——————————

——————————

Signature of applicant

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA(P) 9

Application for the issue of a new passport of travel document when all the pages of the passport or travel document held by the applicant are used up.

1. Full name ——————————

2. Father's/husband's name ——————————

3. Address ——————————

4. Number, date and place of issue of passport or travel document held and date upto which it continues in force ——————————

5. Amount of fee, if any, paid and particulars thereof ——————————

Date ——————————

Place ——————————

——————————

Signature of applicant

IndiaCode

SCHEDULE III

(*See* rule 5)

FORM EA(P) 10

Application for the issue of a duplicate passport or travel document in lieu of the passport or travel document which has been lost, stolen or damaged. To be made in duplicate)

1 Full name

2. Father's/husband's name

3. Profession

4. Place and date of birth

5. Domicile

6. Height.....M..... Cm.

7. Colour of eyes

8. Colour of hair

9. Visible distinguishing mark, if any

10. Number, date and place of issue of Passport or travel document held, date upto which it would continue in force and the countries for which it was endorsed

11. State briefly the circumstances under which the passport or travel document has been lost, stolen or damaged.

12. In case of loss or theft attach a copy of the report in that regard sent to the police

13. *Particulars of child/children included*

Name Date of birth Male/Female

14. Address

Date

Signature of the applicant.

Place

N.B.—The application should be accompanied by three copies of passport size photographs.

Specimen signature.

SCHEDULE IV

(*See* rule 6)

FORM OF GUARANTEE

(To be executed on non-judicial stamp paper)

Whereas ———— wife/son/daughter of ———— is desirous of proceeding abroad accompanied by his/her* ————

I/we the undersigned———— do hereby agree and undertake jointly and severally to provide suitable maintenance for and pay the travelling expenses of the said———— during the period he/she/they shall be abroad and, in the event of my/our failing to provide or cause to be provided such maintenance and travelling expenses as aforesaid I/we jointly and severally hereby agree to pay to the President of India and his successors in office and assigns (thereinafter called "the Government of India") all such costs and expenses as may be incurred by the Government of India on the maintenance and repatriation of the said———— wife/children in the event of his/her/their repatriation to India.

In the event of the said ———————— dying abroad, I/we hereby undertake and agree to reimburse to the Government of India all such costs and expenses as may be incurred for her/his/their burial/cremation.

And it is hereby further agreed by me/us jointly and severally.--

(I) That the Government of India shall be at liberty to grant to the said ———————— such indulgence as it may think proper without discharging or impairing my/our liability hereunder, and

(II) that the authority to determine the costs, charges and expenses in such case referred to above shall rest exclusively with the Government of India and that it shall be binding on me/us and my/our heirs, executors, administrators, and legal representatives as a continuing guarantee to pay such costs, charges and expenses as may be determined by the Government of India, without question.

Signed by the guarantor.— (1)————————

Address————and

(2)————————

Address————on the

————day of———19

———— In the presence of:—

Place of execution of guarantee

————

(i)————————

Address————

(ii)————————

Address————

*Here insert the names of wife and/or wife and children, if a joint passport is to be issued.

N.B.—This form must be accompanied by:—

(1) a certificate from the appropriate Revenue Authority giving the value of the immovable property in the possession of the signatory/signatories, or (ii) a certificate from a bank giving the period during which the signatory/signatories has/have been their client/clients, the amount at his/her/their credit at the time of his/her/their signing the guarantee and the period during which this amount has been at his/her/their credit; or (iii) if the signatory/signatories has/have a regular fixed income/incomes, a certificate from the head of his/her/their department, firm, etc., giving his/her/their monthly income.

(2) Words/Phrases not applicable in the form should not be reproduced in the guarantee.

(3) The value of the non-Judicial stamp paper will be as specified in the Stamp Act in force in a State when the Bond is executed.

IndiaCode

SCHEDULE V

(*See* rule 7)

Schedule of fees payable in respect of applications for passports and travel documents

Sl. No.	Particulars of application	Scale of fees
(1)	(2)	(3)
1	Ordinary Passport	Rs. 15/-
2	Renewal of Ordinary Passport	Rs. 6/- for three years or Rs. 2/- per year or part of a year.
3	Duplicate Passport in lieu of the Ordinary Passport which has been lost, stolen or damaged	Rs. 15/-
4	Emergency Certificate	Rs. 3/-
5	Renewal of Emergency Certificate	Re. 1/-
6	Duplicate Emergency Certificate in lieu of the Emergency Certificate that has been lost, stolen or damaged	Rs. 3/-
7	Certificate of Identity	Rs. 10/-
8	Renewal of Certificate of Identity	Rs. 2/- per year or part of a year.
9	Duplicate Certificate of Identity in lieu of the Certificate of Identity that has been lost, stolen or damaged	Rs. 10 -
10	Additional endorsements on an Ordinary Passport, Emergency Certificate, Certificate of Identity.	Rs. 2/-

SCHEDULE VI

(*See* rule 9)

FORM OF DIPLOMATIC PASSPORT/OFFICIAL PASSPORT/ORDINARY PASSPORT

(Front Cover)

DIPLOMATIC PASSPORT/OFFICIAL PASSPORT/ORDINARY PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Hindi version

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India and all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of

IndiaCode

which he or she may stand in need

Given at ——————
the ——————— day
of ——— ——— 19———

By order of the President of the Republic of India

———————
———————
———————

(Page 1)

This Passport contains

32 pages

DIPLOMATIC PASSPORT/OFFICIAL PASSPORT/ORDINARY PASSPORT
INDIA

No. of Passport
Name of Bearer
Accompanied by his wife
(Maiden name)

AND

CHILDREN
NATIONAL STATUS

.....

.....

IndiaCode

(Page 2

Description

Profession
Place and date of birth
Domicile
Height M C.m. M. C.m.
Colour of eyes
Colour of hair
Visible distinguishing marks

CHILDREN

Name	Date of Birth	Male/Female

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

PHOTO	Signature of bearer

WIFE

PHOTO	Signature of wife

(Page 4)

Countries for which this passport is valid

.....

.....

.....

.....

Unless renewed, the validity of this Passport expires on

Issued at .....

Date .....

(Page 5)

Home address

Permanent address in India:
(Including village or town, district and State)

.....

.....

.....

Name of Father/Husband and his full address
(Including village or town, district and State)

.....

.....

.....

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

(Page 6)

RENEWALS

(Pages 7 to 29)

VISAS

IndiaCode

(Pages 30 and 31)

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange

Date	Country of travel for which exchange has been sold	Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

(Page 32)

NOTE: 1. The colour of the cover of the Diplomatic Passport booklet shall be maroon with the words "Diplomatic Passport" inscribed on the front cover.

NOTE: 2. The colour of the cover of the Official passport booklet shall be grey with the words "Official Passport" inscribed on the front cover.

NOTE: 3. The colour of the cover of the Ordinary passport booklet shall be deep blue with the words "Ordinary Passport" inscribed on the front cover.

SCHEDULE VI

(See rule 2)

FORM OF EMERGENCY CERTIFICATE

Emblem

EMERGENCY CERTIFICATE

No.

This is to certify that..... has applied to me for the grant of an Emergency Certificate and that I have no reason to doubt his/her statement.

Signature of passport authority

Seal

Date .....

(Page 2)

No.

Description

(a) Profession .. ..

(b) National Status .. ..

(c) Father's/Husband's name .....

(d) Place and date of birth .....

(e) Address in India .....

(f) Visible distinguishing marks, if any .....

(g) Height .....

(h) Colour of hair .....

(i) Colour of eyes .....

(Page 3)

No.

The holder is accompanied by a child/ .... . . (children whose particulars are given below:

Particulars of child/children.

S. No.	Name	Date of birth	Sex
1.			
2.			
3			
4.			

Photograph of holder

Signature of holder

(Page 4)

No.

This certificate is only valid for journey to..... via.....

Unless renewed, the validity of tte basic expires on .....

Renewed up to .....

Issued at .....

Date .....

(Page 5)

No.

Visas

(Page 6)

No.

Visas

N.B.—The possession of this Emergency Certificate does not exempt the holder from compliance with any immigration regulations in force in the country of destination or from the necessity of obtaining a visa when required.

SCHEDULE VI

(*See* rule 9)

FORM OF CERTIFICATE OF IDENTITY

(Front cover)

GOVERNMENT OF INDIA

(Emblem)

CERTIFICATE OF IDENTITY

(Inside front cover)

Hindi version

IDENTITY CERTIFICATE

This certificate is issued for the sole purpose of providing the holder with identity papers in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the national status of the holder. If the holder obtains a national passport this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the nearest Passport Authority in India or an Indian Mission or Post outside India.

IndiaCode

This certificate is valid for travel to Countries mentioned at page 5 and its validity expires on .....

(Signature and seal of Passport authority)

Place..... Date .....

(Page 1)

This Certificate of Identity

contains 13 pages

CERTIFICATE OF IDENTITY

INDIA

No. of Certificate of Identity .....

Name of holder .....

Nationality of origin .....

(Page 2)

No

Personal Description

Profession .....

Date of birth .....

Place of birth .....

Name of father husband .....

Name of mother .....

Height .....

Colour of hair .....

Colour of eyes .....

(Page 3)

No.

Visible distinguishing marks ...

Present occupation .....

Last permanent address .....

abroad

Present address .....

(Page 4)

No.

The holder is accompanied by a child/ ....children whose particulars are given below

IndiaCode

Particulars of Children

S. No.	Name	Date of birth	Sex
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Signature of holder

PHOTOGRAPH OF HOLDER

(Page 5)

No.

ENDORSEMENTS

(Pages 6 and 7)

No

RENEWALS

(Pages 8 to 13)

No.

VISAS

[No. F. VI/401/26/67-Vol. II.]
S. BIKRAM SHAH, Jt. Secy

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967

IndiaCode

रजिस्ट्री सं. डी. 221

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग-II खंड-3 उपखंड(i)
विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई 1967

सा.सं.नि.709.- पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 (1967 का 4) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन.- इन नियमों को पासपोर्ट नियम, 1967 कहा जाएगा।
(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.- जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-
(क) "प्रपत्र" से अनुसूची में दिया गया प्रपत्र अभिप्रेत है;
(ख) पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के संबंध में "विविध सेवा" में निम्नलिखित शामिल है-
(i) पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में प्रविष्टियों में बदलाव;
(ii) अतिरिक्त देशों के संबंध में पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में नए पृष्ठांकन करना;
(iii) गुम हो चुके, चोरी हो चुके अथवा क्षतिग्रस्त हो चुके पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के स्थान पर दूसरा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करना;
(iv) पासपोर्ट धारक द्वारा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य सेवा
(ग) "अध्यादेश" से पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 अभिप्रेत है;
(घ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
(ड.) "धारा" से अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है।

3. पासपोर्ट प्राधिकारी.- (1) केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त अनुसूची I के कॉलम 2 में विनिदिष्ट अधिकारी, उपनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन अध्यादेश और इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी होंगे।

(2) उपनियम (I) में समाहित किसी भी बात के बावजूद अनुसूची I के कॉलम 2 में उल्लिखित अधिकारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने के प्रयोजनार्थ उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में समनुरूप प्रविष्टियों में विनिदिष्ट देशों में समान्यत: रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे पासपोर्ट जारीकरण के लिए दिए गए आवेदनों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा।

बशर्ते कि अपवादस्वरूप और तात्कालिक मामलों में उक्त अधिकारी किसी भी अन्य देश में रहने वाले किसी व्यक्ति से पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है और अधिक से अधिक छह माह की अवधि के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी कर सकता है।

4. उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनके लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेजों की श्रेणियां जारी की जा सकती हैं.- उन व्यक्तियों की श्रेणियां जिनके लिए धारा 4 की क्रमश: उपधारा (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने हैं, अनुसूची ।। के क्रमश: भाग । और भाग ।। में यथा-उल्लिखित होंगी।

5. आवेदन प्रपत्र.- पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने अथवा उनके नवीकरण अथवा किसी विविध सेवा के लिए आवेदन, अनुसूची III में इस प्रयोजनार्थ दिए गए प्रपत्र में और उसमें उल्लिखित कार्य प्रक्रिया तथा अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

6. वित्तीय गारंटी.- पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन अनुसूची IV में उल्लिखित प्रपत्र में दी गई गारंटी के साथ भेजा जाएगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों में आवेदक के संबंध में इस प्रकार की कोई गारंटी आवश्यक नहीं होगी जब वह,-

(i) प्रथम श्रेणी वृत्तिभोगी मैजिस्ट्रेट अथवा सरकार के कम से कम उपसचिव रैंक के अधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे;
(ii) आयकर अथवा संपत्ति कर देता हो;
(iii) किसी विदेशी सरकार द्वारा उसके पक्ष में दिया गया प्रवेश परमिट प्रस्तुत करे;
(iv) भारतीय आप्रवासन अधिनियम, 1922 (1922 का 7) के अंतर्गत भारत से बाहर जाए और नियोक्ता ने अपेक्षित प्रतिभूति जमा किया हो;
(v) नियोजन वाउचर पर ब्रिटेन जा रहा हो;
(vi) छात्रवृत्ति अथवा फेलोशिप पर जा रहा हो;
(vii) पड़ोसी देशों में तीर्थ यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन से जा रहा हो;
(viii) विदेश की यात्रा और वहां से लौटने के सबूत के रूप में टिकट प्रस्तुत करे।

7. आवेदनों पर लिया जाने वाला शुल्क.- नियम 5 के अंतर्गत दिए गए प्रत्येक आवेदन के संबंध में देय शुल्क अनुसूची V में विनिर्दिष्ट दरों पर होगा।

8. शुल्क संग्रहण.- इस प्रकार के आवेदनों के संबंध में देय सभी शुल्क धनादेश द्वारा अथवा पटल पर किए जाने वाले नकट भुगतान के रूप में संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को दिए जाएंगे और कूपन अथवा रसीद में विवरण दिया जाएगा कि इस प्रकार के शुल्क का प्रेषण / भुगतान किसलिए किया गया है।

9. पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज प्रपत्र.- अध्यादेश के अंतर्गत जारी किए जाने वाला पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज अनुसूची VI में इस प्रयोजनार्थ दिए गए प्रपत्र में होगा।

10. पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज की अवधि.- (1) कोई साधारण पासपोर्ट उसे जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

(2) आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से छह माह की अवधि तक लागू रहेगा।

(3) पहचान प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

IndiaCode

11. विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी करना.- कोई पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेजधारी कोई व्यक्ति तब तक दूसरे पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह अपने पास पहले से रखे पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को पासपोर्ट प्राधिकारी को सौंप नहीं देता:

बशर्ते कि उसी व्यक्ति को अलग-अलग देशों के संबंध में अलग पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं यदि ऐसे देशों की उसकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

12. अपील प्राधिकारी.- इस अध्यादेश तथा इन नियमों के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट आदेश से जिस अपील अधिकारी को अपील की जाएगी वह सारणी के कॉलम 2 में समनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी होगा:-

जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की गई	अपील प्राधिकारी
1	2
1. (क) धारा 5 की उपधारा(2) के खंड (ख) अथवा खंड (ग); अथवा (ख) धारा 7 के परंतुक का खंड (ख) ; अथवा (ग) धारा 10 की उपधारा(1) अथवा उपधारा(3) के अंतर्गत- केंद्रीय सरकार के अलावा पासपोर्ट प्राधिकारी का कोई आदेश	मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
2. पासपोर्ट प्राधिकारी के उच्चस्थ प्राधिकारी का धारा 10 की उपधारा(6) के अंतर्गत कोई आदेश	सचिव, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

IndiaCode

13. अपील के संबंध में देय शुल्क.- अपील के लिए प्रत्येक याचिका के साथ 25 रुपए का शुल्क भी देना होगा जिसका भुगतान नकद रूप में ट्रेजरी में किया जाएगा और रसीदयुक्त चालान की एक प्रति ऐसी याचिका के साथ संलग्न की जाएगी।

14. अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रक्रिया.- कोई अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से मामले का रिकार्ड मांग सकता है, जिसके जारी किए गए आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और अपीलकर्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने का तर्कसंगत अवसर देने के उपरांत अंतिम आदेश पारित कर सकता है।

अनुसूची I

(नियम 3 देखें)

क्रम सं.	पासपोर्ट प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मुंबई (क्षेत्रीय	महाराष्ट्र और गुजरात

पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन कार्यालय, मुंबई)

(2) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मुंबई (क्षेत्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन कार्यालय, मुंबई) — वही

(I)	(2)	(3)
	(ग) जनसम्पर्क अधिकारी, मुम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य
2	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, कोलकाता (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोलकाता)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम (पूर्वोत्तर फ्रंटियर भूभाग सहित) और नागालैंड तथा त्रिपुरा तथा मणिपुर संघ क्षेत्र
	(ख) जनसम्पर्क अधिकारी कोलकाता (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, कोलकाता)	वही
3	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली)	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर तथा राजस्थान राज्य
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली)	वही
	(ग) जनसम्पर्क अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, नई दिल्ली)	वही
4	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, लखनऊ)	मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य
	(ख) जनसम्पर्क अधिकारी, लखनऊ (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, लखनऊ)	वही
5	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल तथा लक्षद्वीप, मिनीकोय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	वही
	(ग) जनसम्पर्क अधिकारी, मद्रास, (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	वही

IndiaCode

6	मुख्य सचिव, गोवा, दमन तथा द्वीव, पण्जी संघ शासित क्षेत्र	गोवा, दमन तथा द्वीव और नागर हवेली संघ शासित शासित क्षेत्र
7	मुख्य आयुक्त, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र
8	भारत से बाहर स्थित किसी भारतीय मिशन/केन्द्र में कोंसुली अधिकारी	संबंधित भारतीय मिशन अथवा केंद्र के कोंसुली क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र

IndiaCode

भारत का राजपत्र, असाधारण

अनुसूची II

(नियम 4 देखें)

भाग I- पासपोर्ट

पासपोर्ट की श्रेणी	व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें जारी किया जाना है
1	2
I सामान्य पासपोर्ट	भारत के नागरिक
II आधिकारिक पासपोर्ट	(1) सरकारी अधिकारी तथा गैर-अधिकारी जब उनकी यात्रा का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा हो और उनके परिवार के सदस्यगण जब वे भी सरकारी खर्चे पर भारत से बाहर जा रहे हों; (2) तकनीकी प्रशिक्षण हेतु भारत से बाहर जा रहे भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रित निगमों तथा उपक्रमों के अधिकारीगण; (3) विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा उनकी विशेष एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति पर स्थायी सरकारी अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्यगण, बशर्ते इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से की गई हो; (4) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों तथा बैठकों में शामिल होने अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रूप से अथवा किसी छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार में मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित सरकारी अधिकारी जहाँ भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति को ड्यूटी पर समझा जाता हो और भारत में ड्यूटी वेतन तथा भत्ते आहरित करने की अनुमति दी जाती हो; (5) भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी के निकटतम संबंधी जैसे विधवा माँ, विधवा सास, आश्रित बहन, आश्रित भाई और न कि दूर के रिश्तेदार जैसे चचेरे भाई-बहन, चाचा अथवा चाची, बशर्ते वह रिश्तेदार अधिकारी पर आश्रित हो और बशर्ते वह भी उस अधिकारी के साथ उसके प्रतिनियुक्ति वाले स्थान पर रहने जा रहे/रही हों; टिप्पणी - निम्नलिखित व्यक्ति आधिकारिक पासपोर्ट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे - (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के कर्मचारी, (ख) सरकारी विभाग द्वारा प्रायोजित व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों तथा बैठकों मे शामिल होने जा रहा हो अथवा भारत से बाहर या तो स्वतंत्र रूप से अथवा उस समय चल रही किसी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अध्ययन अवकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के अवकाश पर जा रहे हों, (ग) अपने खर्चे पर वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन से

		भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति, हालांकि सरकारी विभाग द्वारा इस बाबत प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रकार का प्रयोजन सरकारी हित में होगा।
III	राजनयिक पासपोर्ट	(1) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारीगण; (2) कोई व्यक्ति जिसकी राजनयिक हैसियत हो चाहे उसके विदेशी मिशन में कार्यरत होने के कारण अथवा उसके पद के कारण; (3) उपर्युक्त मद (1) अथवा मद (2) में उल्लिखित अधिकारियों के परिवारों के निम्नलिखित सदस्यगण जब वे सरकारी खर्चे पर ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे हों अथवा उनके पास जा रहे हों:- पत्नी अथवा आधिकारिक परिचारिका, जैसा भी मामला हो, पति, पुत्र तथा पुत्री

भाग-II यात्रा दस्तावेज़

यात्रा दस्तावेज़ की श्रेणी		व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें जारी किया जाएगा
	1	2
I	आपातकालीन प्रमाणपत्र	भारत के बाहर रहे भारतीय नागरिक जिन्हें पासपोर्ट जारी करने से मना किया गया हो अथवा जिनके पासपोर्ट जब्त अथवा रद्द कर दिए गए हों
II	पहचान प्रमाणपत्र	व्यक्ति जिन्हें धारा 21 के तहत धारा 6 की उपधारा 2 के खंड (क) के प्रावधानों से छूट दी गई

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 1
सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन
(दो प्रतियों में)

सेवा में

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी .....

डुप्लीकेट आवेदन ..... **जिला मजिस्ट्रेट**

के माध्यम से..... को प्रस्तुत **उपायुक्त**

कलेक्टर,

अनुमंडल अधिकारी

पुलिस आयुक्त

महोदय,

मैंने सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। पासपोर्ट शुल्क के रूप में 15.00 की राशि मनीऑर्डर/रोकड़ द्वारा भुगतान की गई है और ..... में दिनांक ..... को जारी रसीद संख्या ..... संलग्न है।

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने अपनी भारतीय नागरिकता नहीं खोई है, अभ्यर्पित नहीं की है अथवा मुझे भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है और प्रश्नावली के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है वह सही है।

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान.....
दिनांक.....

प्रश्नावली
विवरण एवं ब्यौरे

1. पूरा नाम, उर्फ सहित, यदि कोई हो (स्पष्ट अक्षरों में)

2. क्या आपने कभी अपना नाम परिवर्तन किया है? यदि हां, तो आपका पिछला नाम क्या था?

3. क्या आप विवाहित हैं अथवा अविवाहित?

4. यदि आप विवाहित महिला / विधवा हैं तो-
(क) अपना विवाहपूर्व नाम बताएं
(ख) अपने पति अथवा स्वर्गीय पति की राष्ट्रीयता, नाम, और जन्म स्थान तथा पते का उल्लेख करें।
(ग) यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाहित हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है तो कृपया विवाह का स्थान और तारीख का उल्लेख करें।

5. (क) जन्म स्थान (गांव, शहर, जिला इत्यादि)
(ख) जन्म तिथि (यदि उपलब्ध हो तो इसकी पुष्टि में दस्तावेज संलग्न करें)

6. (क) स्थायी पता
(ख) वर्तमान पता

7. (क) व्यवसाय
(ख) मासिक आय सहित मौजूदा व्यवसाय का पूरा ब्यौरा दें।

8. शैक्षिक अर्हता

IndiaCode

9. (i) आवेदक का व्यक्तिगत विवरण:-
(क) लंबाई (मीटर, सेंटीमीटर में)
(ख) आंखों का रंग
(ग) बालों का रंग
(घ) दिखने वाला स्पष्ट पहचान चिन्ह, यदि कोई हो

(ii) बच्चों का व्यक्तिगत विवरण, यदि पासपोर्ट में शामिल किया जाना हो:-

1. पूरा नाम
2. जन्म तिथि*
3. लिंग

*कृपया प्रत्येक बच्चे के फोटोग्राफ (आकार लगभग 3.5 सेंटीमीटर x 3 सेंटीमीटर) की तीन सत यापित प्रतियां और जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10. (क) पिता का नाम
(ख) जन्म स्थान और जन्म तिथि। यदि जन्म तिथि ज्ञात नहीं है
तो लगभग आयु

11. (क) आपके पिता की राष्ट्रीयता क्या थी-
(i) आपके जन्म के समय?
(ii) 26 जनवरी 1950 को?

(2) यदि उन्होंने विदेशी राष्ट्रीयता ले ली थी तो उन्होंने विदेशी राष्ट्रीयता कब ली?
उनके पास रखे हुए किसी यात्रा दस्तावेज का विवरण।

12. माता का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि*?

13. आप भारत में कब से लगातार रह रहे हैं?

14. क्या आप कभी पाकिस्तान सहित विदेश में रहे हैं? कृपया देशों और अवधियों का उल्लेख करें। यदि पाकिस्तान में रहे हों तो वहां से प्रव्रजन की तारीख बताएं।

15. विदेश में रहते हुए आप क्या व्यवसाय करते थे?

16. क्या आप कभी किसी देश से सरकारी खर्च पर भारत आए? यदि हां,
तो विवरण दें और यह भी बताएं कि क्या आपने इस तरह की वापसी के संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की है। प्रतिपूर्ति की तारीख और स्थान का भी उल्लेख करें।

17. राष्ट्रीय स्थिति:

IndiaCode

(क) आपकी राष्ट्रीयता क्या है?
(ख) क्या आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं?
(ग) क्या आप जन्म से / पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बने हैं?
यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

18. क्या आपने कभी कोई अन्य नागरिकता ली? यदि हां, तो कौन सी?

19. क्या आपको (अथवा आपके किसी बच्चे को, यदि पासपोर्ट में शामिल किया जाना है) किसी अपराध के लिए भारत में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और कम से कम दो वर्ष की जेल की सजा दी गई है। यदि हां, तो कृपया तारीख और विवरण दें।

20. क्या आपने (अथवा आपके बच्चों ने, यदि पासपोर्ट में शामिल किया जाना है) पहले कभी कोई पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज रखा है अथवा उसमें शामिल किए गए हो? यदि हां, तो विवरण (सं. जारी करने का स्थान और तारीख) दें। क्या पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज में विवरण हटा दिए गए हैं और यदि हां तो किसके द्वारा? समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

21. क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है? यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण दें:
(1) किस प्राधिकारी को आवेदन किया गया था।
(2) क्या पासपोर्ट जारी किया गया / करने से इंकार किया गया था।
(3) यदि जारी किया गया तो पासपोर्ट का विवरण दें।
(4) क्या पासपोर्ट कभी जब्त अथवा रद्द किया गया था।

22. उन देश के नाम जिनके लिए पासपोर्ट चाहिए।

23. आपकी विदेश यात्रा का प्रयोजन क्या है?

24. आप भारत से बाहर अपना भरण-पोषण कैसे करेंगे?

25. पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में पता।

26. आपके आस पड़ोस में दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आपके संबंध में साक्ष्य दे सकते हों।

सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... को दो वर्ष से भी अधिक समय से जानता हूं। आवेदक की माली हालत काफी अच्छी है।

IndiaCode

मैं इस बात से संतुष्ट हो गया हूं कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही हैं।

मैं पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए आवेदक को एक उपयुक्त व्यक्ति समझता हूं।

कार्यालय.....
दूरभाष:

हस्ताक्षर.....
नाम स्पष्ट अक्षरों में

पदनाम
कार्यालय की मुहर:

निवास.....
स्थान.....
दिनांक.....

सावधानी: यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस पर सम्यक विचारण के उपरांत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए (कम से कम उप सचिव के रैंक के अधिकारी अथवा वृत्तिभोगी मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।)

.....
..

.....
.....

नमूना हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

टिप्पणी:-

हस्ताक्षर:.....
दिनांक.....

मुहर

.....
.....

(उत्प्रवासियों के संरक्षक के उपयोग के लिए)

हस्ताक्षर:.....
दिनांक.....

IndiaCode

मुहर

.....
.....

(क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के आदेश)

हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

मुहर

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 2
18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की ओर से साधारण पासपोर्ट जारी करने हेतु आवेदन
(दो प्रतियों में भरा जाए)

IndiaCode

सेवा में

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी,.....

दूसरा आवेदन
.....को प्रस्तुत किया गया
द्वारा

जिला मैजिस्ट्रेट,
उपायुक्त,
कलेक्टर,
पुलिस आयुक्त

महोदय,

मैं, अधोहस्
ताक्षरी.....
निवासी .....
.....
.....एतदद्वारा को पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन कर रहा हूं
जिसका मैं माता-पिता/कानूनी संरक्षक हूं।

मैं उसके सभी खर्चों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं।

15 रुपए का पासपोर्ट शुल्क धनादेश द्वारा प्रेषित कर दिया गया है / का भुगतान कर दिया गया है और.....से दिनांक .....को जारी नकद राशि की रसीद संख्या इसके साथ संलग्न है।

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने अपनी भारतीय नागरिकता नहीं खोई है, अभ्यर्पित नहीं की है अथवा मुझे भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है और प्रश्नावली के उत्तर में मैंने जो सूचना दी है वह सही है।

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान.....
दिनांक.....

प्रश्नावली

(विशेष टिप्पणी- नीचे मद संख्या 1-13 उस व्यक्ति से संबंधित है जिसकी ओर से आवेदन दिया गया है)

1. पूरा नाम, उर्फ सहित, यदि कोई हो(स्पष्ट अक्षरों में)

1.(क) यदि कभी नाम परिवर्तन किया गया है तो पिछला नाम बताएं।

2.(क) जन्म स्थान (गांव, शहर, जिला इत्यादि)
(ख) जन्म तिथि

3. भारत में पता

4. आवेदक का व्यक्तिगत विवरण:-
(क) लंबाई (मीटर, सेंटीमीटर में)
(ख) आंखों का रंग
(ग) बालों का रंग
(घ) दिखने वाला स्पष्ट पहचान चिन्ह, यदि कोई हो

4.(क) शैक्षिक अर्हता (प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. पिता का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि
तथा जिस व्यक्ति की ओर से आवेदन दिया जा रहा है
उसके जन्म के समय पिता की राष्ट्रीयता
6. माता का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि, तथा राष्ट्रीयता
7. पति का नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि, तथा राष्ट्रीयता
8. भारत में कब से निरंतर रह रहे हैं, निवास की तारीखों और स्थान सहित

IndiaCode

9. क्या वह कभी पाकिस्तान सहित विदेश में रहे हैं? कृपया देशों और अवधियों का उल्लेख करें। यदि पाकिस्तान में रहे हों तो वहां से प्रव्रजन की तारीख बताएं।

10. राष्ट्रीय स्थिति:
(क) उसकी राष्ट्रीयता क्या है?
(ख) क्या वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं?
(ग) क्या वह जन्म से / पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बने हैं?
यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. क्या उसने कोई अन्य नागरिकता ली? यदि हां, तो विवरण दें
(संख्या, स्थान और जारी करने की तारीख)

विशेष टिप्पणी- यदि अब भी उनके पास पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज है तो इस आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो यह बताएं कि उसका क्या हुआ।

12. विदेश जाने का उद्देश्य क्या है? पूरा ब्यौरा दें।
13. अंतिम गंतव्य देश कौन सा है? वह कौन-कौन से देशों से होकर जाएगा?
14. क्या उसको किसी अपराध के लिए भारत में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और कम से कम दो वर्ष की जेल की सजा दी गई है। यदि हां, तो कृपया तारीख और विवरण दें।
15. आपके आस पड़ोस में दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते जो आपके संबंध में साक्ष्य दे सकते हों।
(1)
(2)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर का नमूना जिसकी ओर से आवेदन दिया जा रहा है।

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

टिप्पणी:-

हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

मुहर

.....
.....

(उत्प्रवासियों के संरक्षक के उपयोग के लिए)

हस्ताक्षर:.....

IndiaCode

दिनांक.....

मुहर

.....
.....

(क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के आदेश)

हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

मुहर

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 3

राजनयिक पासपोर्ट / आधिकारिक पासपोर्ट जारी करने हेतु आवेदन

1.(क) उपनाम(स्पष्ट अक्षरों में)
(ख) व्यक्तिगत और / अथवा अन्य नाम, यदि कोई हो (स्पष्ट अक्षरों में)
(ग) उर्फ, यदि कोई हो (स्पष्ट अक्षरों में)।
2. व्यवसाय
3. वर्तमान पद
4. स्थायी घर का पता
5. वर्तमान पता
6.(क) जन्म स्थान(गांव, शहर, जिला इत्यादि)
(ख) जन्म तिथि
7. पिता / पति का नाम
8. व्यक्तिगत विवरण:-
(क) लंबाई (मीटर, सेंटीमीटर में)
(ख) आंखों का रंग
(ग) बालों का रंग
(घ) दिखने वाला स्पष्ट पहचान चिन्ह, यदि कोई हो

IndiaCode

(II) बच्चे/बच्चों का, यदि पासपोर्ट में शामिल किया जाना है	पूरा नाम	जन्म तिथि	लिंग
			1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

9. वर्तमान में धारित पासपोर्ट, यदि कोई हो, का ब्यौरा

टिप्पणी – उस पासपोर्ट को आवेदन के साथ जमा किया जाना चाहिए।

10. आधिकारिक ड्यूटी पर दौरा किए जाने वाले देश, साथ ही ड्यूटी का सटीक स्वरूप तथा प्रवास की अवधि:

देश का नाम	आधिकारिक ड्यूटी का वास्तविक स्वरूप	संभावित तिथियों के साथ प्रवास की अवधि

11. यात्रा का तरीका तथा मार्ग:

स्थान .....

तिथि .....

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

(यदि लागू हो तो भरा जाना है)

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि .....

(पूरा नाम तथा पदनाम)

आधिकारिक ड्यूटी पर भारत से बाहर जा रहे/रही हैं जिसका ब्यौरा उपर्युक्त मद संख्या 10 में उल्लिखित है।

स्थान .....

तिथि .....

.....

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर

.....

आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना

पदनाम .....

IndiaCode

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 4

आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन

मैं, अधोहस्ताक्षरी ..... वर्तमान में ..... रहता/रहती हूँ, एतद्द्वारा भारत की यात्रा करने के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ।

मैं सविनय घोषणा करता हूँ कि मेरा जन्म ..... में ..... को हुआ था और मैं भारत का नागरिक हूँ।

मैं सविनय घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन के संबंध में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है।

मेरे पास ..... द्वारा ..... में दिनांक ..... को जारी ..... पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ संख्या मौजूद है जिसे मैं वापस कर रहा हूँ; अथवा

मेरे पास कोई पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ नहीं है।

व्यक्तिगत ब्यौरा

1. पूरा नाम, उर्फ सहित, यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)
2. क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? यदि हाँ, तो आपका पहला नाम क्या था?
3. यदि विवाहिता महिला/विधवा हैं
   (1) विवाह से पहले का नाम बताएं
   (2) पति अथवा पूर्व पति की राष्ट्रीयता, नाम तथा जन्म स्थान बताएं
   (3) यदि किसी विदेशी से विवाहित है तो विवाह स्थान तथा तिथि बताएं।
4. (क) जन्म स्थान (गाँव, शहर, जिला आदि);
   (ख) जन्म तिथि:
5. वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति
6. पिता का नाम
7. व्यावसाय
8. भारत में पता
9. विदेश में पता

IndiaCode

10. लंबाई

11. बालों का रंग

12. आँखों का रंग

13. दिखने वाले विशिष्ट निशान, यदि कोई हो

14. यदि आपके पास पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ है और आपने इस आवेदन के साथ उसे जमा नहीं कराया है तो इसका कारण बताएं।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक .....

साथ जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे/बच्चों का ब्यौरा:-

नाम	जन्म तिथि	लिंग

IndiaCode

अनुसूची III

(नियम 5 देखें)

प्रपत्र ईए (पी) 5

पहचान प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन

मैं, अधोहस्ताक्षरी ..... वर्तमान में ..... रहता/रहती हूँ, एतद्द्वारा भारत की यात्रा करने के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ।

मैं सविनय घोषणा करता हूँ कि मेरा जन्म ..... में ..... को हुआ था और मैं भारत का नागरिक हूँ।

मैं सविनय घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन के संबंध में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ नहीं है।

मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न कर रहा हूँ:-

आवासीय परमिट

तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ – एक फोटो पर स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षर किया गया हो।

व्यक्तिगत ब्यौरा

1. (क) उपनाम (बड़े अक्षरों में)

(ख) व्यक्तिगत तथा/अथवा अन्य नाम, यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)

(ग) उर्फ, यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)

2. स्थान तथा जन्म तिथि।

3. मूल राष्ट्रीयता

4. वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति।

5. पिता का नाम।

6. माता का नाम।

7. पेशा।

8. वर्तमान पेशा।

9. भारत में निवास की अवधि।

10. विदेशों में अंतिम स्थायी पता।

11. वर्तमान पता।

12. ऊँचाई।

13. बालों का रंग

14. आँखों का रंग

15. दिखने वाले विशिष्ट निशान, यदि कोई हो।

.....

IndiaCode

आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक .....

साथ जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे/बच्चों का ब्यौरा:-

नाम	जन्म तिथि	लिंग

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 6

पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ के नवीनीकरण हेतु आवेदन

टिप्पणी – पासपोर्ट की वैधता अवधि के नवीनीकरण संबंधी आवेदन सीधे भारत में पासपोर्ट प्राधिकरण को अथवा भारत से बाहर भारतीय मिशन/केंद्र को भेजा जाना चाहिए।

मैं ..... अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में ..... में रहता हूँ और मैंने ..... में ..... को जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ संख्या आगे ..... वर्ष की वैधता अवधि को नवीकृत करने के लिए आवेदन किया है।

मैंने मनीऑर्डर द्वारा काउंटर पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया है और ..... में दिनांक ..... को जारी रसीद संख्या ..... अवलोकनार्थ संलग्न है।

* मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ मुझे जारी किए जाने के बाद मैंने अपनी भारतीय नागरिकता खोई नहीं है अथवा समर्पण नहीं किया है।

मैं सविनय घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन के संबंध में मेरे द्वारा दिया गया सभी ब्यौरा सही है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अन्य पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ नहीं है।

आवेदक का ब्यौरा

IndiaCode

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) .....
2. स्थान तथा जन्म तिथि .....
3. वर्तमान पता .....
4. व्यवसाय तथा वर्तमान पेशा .....
   ब्यौरा दें
5. विवाहित अथवा अविवाहित .....
6. यदि विवाहित महिला/विधवा :-
   (1) विवाह पूर्व नाम
   (2) पति/स्वर्गीय पति की राष्ट्रीयता, नाम तथा जन्म स्थान

   जन्म .....
   .....
7. नवीनीकरण का प्रयोजन क्या है
   .....
   .....

   तिथि ....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

* लागू होने पर भरा जाए।

IndiaCode

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 7

अतिरिक्त अनुमोदन हेतु आवेदन

1. पूरा नाम .....
2. पुत्र/पत्नी/पुत्री .....
3. पता .....
4. पेशा .....
5. वर्तमान पेशा .....
   (पूरा ब्यौरा दें)
6. शैक्षणिक योग्यता .....
7. धारित पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ की संख्या, जारी करने की तिथि तथा स्थान और कब तक वैध है
   .....
8. जिन देशों के लिए वैध है .....
9. देश/देशों के नाम जिनके लिए अब अतिरिक्त अनुमोदन अपेक्षित है
   .....

10. अपेक्षित अतिरिक्त अनुमोदन के कारण .....

11. भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, और उसका ब्यौरा ..... दिनांक

.....

.....

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 8

विविध सेवाओं के लिए आवेदन

1. पूरा नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पता .....
4. धारित पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ की संख्या, जारी करने की तिथि तथा स्थान और कब तक वैध है .....
5. अपेक्षित सेवा का स्वरूप .....
6. 11. भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, और उसका ब्यौरा ..... दिनांक
7. .....

8. .....

आवेदक का हस्ताक्षर

IndiaCode

अनुसूची III
(नियम 5 देखें)
प्रपत्र ईए (पी) 9

नया पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने हेतु आवेदन जब आवेदक के पास धारित पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ों के सभी पृष्ठों का उपयोग कर लिया जाए

व्यक्तिगत ब्यौरा

1. (क) पूरा नाम

2. पिता/पत्नी का नाम

3. पेशा

4. स्थान तथा जन्म तिथि

5. निवास

6. ऊँचाई ..... मीटर ..... सेमी.

7. आँखों का रंग

8. बालों का रंग

9. दिखने वाले विशिष्ट निशान, यदि कोई हो।

10. धारित पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज़ की संख्या, जारी करने की तिथि तथा स्थान और कब तक वैध है तथा किन-किन देशों के लिए अनुमोदन दिया गया

11. परिस्थितियों का संक्षेप में ब्यौरा दें जिनमें पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ खो गया है, चोरी हुई है अथवा नष्ट हुआ है

12. खो जाने अथवा चोरी होने के मामले में इस संबंध में पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें

13. शामिल किए गए बच्चे/बच्चों का ब्यौरा

नाम	जन्म तिथि	स्त्री/पुरुष

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर।

IndiaCode

अनुसूची IV

(नियम 6 देखें)

गारंटी का प्रारूप

(गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

जबकि ..... की पत्नी/सुपुत्र/सुपुत्री .... के साथ विदेश जाने के इच्छुक हैं।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी ..... एतद्द्वारा उपर्युक्त ..... के विदेश में प्रवास के दौरान उनकी संयुक्त रूप से देखभाल करने तथा उनका यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं तथा इसका वचन देता/देते हैं और उपर्युक्त अनुसार इस प्रकार की देखभाल न करने अथवा यात्रा व्यय का भुगतान न करने की स्थिति में मैं/हम संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग एतद्द्वारा इस प्रकार के सभी लागत तथा व्यय का भुगतान भारत के राष्ट्रपति तथा कार्यालय में उनके उत्तराधिकारियों (इसके बाद "भारत सरकार" कहा जाएगा) को किया जाएगा जो उपर्युक्त ..... की पत्नी/बच्चों को भारत वापस भेजने की स्थिति में भारत सरकार को उठाना पड़े।

उक्त ---------- की विदेश में मृत्यु होने की स्थिति में मैं/हम एतद्द्वारा उसको/उनको दफनाने/दाह संस्कार पर व्यय की गई सभी लागतों और खर्चों को भारत सरकार को प्रतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ और सहमति व्यक्त करता हूँ।

और आगे मैं/हम एतद्द्वारा संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से सहमति व्यक्त करते हैं:-

(I) कि भारत सरकार उक्त ---------- को ऐसा अनुग्रह प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगी जैसाकि वह नीचे दिए गए मेरे/हमारे दायित्व को मुक्त या क्षीण किए बिना उपयुक्त समझती हो और

(II) कि उपर्युक्त उल्लिखित मामले में लागत, शुल्क और खर्चों को निर्धारित करने का प्राधिकार पूरी तरह से भारत सरकार का होगा और यह मुझ पर/हम पर और मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों, निर्वाहकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों पर एक निरंतर गारंटी के रूप में बाध्यकारी होगा कि वे बिना प्रश्न किए भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करें।

गारंटीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित:-

(1).....

पता ..... और

(2).....

.....के .....दिवस को पता .....

..... की उपस्थिति में:-

गारंटी के निष्पादन का स्थान

(1).....

पता .....

(2).....

पता .....

* यदि संयुक्त पासपोर्ट जारी किया जाना है तो यहाँ पत्नी और/अथवा पत्नी और बच्चों के नाम प्रविष्ट करें।

कृपया ध्यान दें – इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होने चाहिए:-

(1) हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकार में अवल संपत्ति का मूल्य दर्शाते हुए उपयुक्त राजस्व प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र अथवा (ii) बैंक से एक प्रमाणपत्र जिसमें उस अवधि जिसके दौरान हस्ताक्षरकर्ता उनके ग्राहक रहे हों, गारंटी पर हस्ताक्षर करते समय उसके/उनके खाते मे बकाया राशि और वह अवधि जिसके दौरान उसके/उनके खाते में यह राशि रही हो, का उल्लेख हो। (iii) यदि हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं की कोई नियमित नियत आय है तो उसकी/उनकी पारिक आय का ब्यौरा देते हुए उसके/उनके विभाग के प्रमुख से प्रमाणपत्र।

(2) प्रपत्र में लागू न होने वाले शब्दों/पुहावरों को गारंटी में न दोहराया जाए।

(3) गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का मूल्य बांड निष्पादित किए जाने वाले राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम में दिए अनुसार होगा।

IndiaCode

अनुसूची V

(नियम 7 देखें)

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ों के लिए आवेदनों के संबंध में भुगतान किए जाने वाले शुल्क की अनुसूची

क्रम संख्या	आवेदन का विवरण	शुल्क का पैमाना
(1)	(2)	(3)
1	सामान्य पासपोर्ट	15/- रुपए
2	सामान्य पासपोर्ट का नवीकरण	3 वर्षों के लिए 6/- रुपए या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2/- रुपए
3	खो गए, चोरी हो गए या क्षतिग्रस्त सामान्य पासपोर्ट के बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट	15/- रुपए
4	आपातकालीन प्रमाणपत्र	3/- रुपए
5	आपातकालीन प्रमाणपत्र का नवीकरण	1/- रुपए
6	खो गए, चोरी हो गए या क्षतिग्रस्त आपातकालीन पासपोर्ट के बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट	3/-रुपए
7	पहचान प्रमाणपत्र	10/- रुपए
8	पहचान प्रमाणपत्र का नवीकरण	2/- रुपए प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए
9	खो गए, चोरी हो गए या क्षतिग्रस्त पहचान पासपोर्ट के बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट	10/- रुपए
10	सामान्य पासपोर्ट, आपातकालीन प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाणपत्र में अतिरिक्त पृष्ठांकन	2/- रुपए

IndiaCode

अनुसूची VI

(नियम 9 देखें)

राजनयिक पासपोर्ट/आधिकारिक पासपोर्ट/सामान्य पासपोर्ट का प्रपत्र

(फ्रंट कवर)

राजनयिक पासपोर्ट/आधिकारिक पासपोर्ट/सामान्य पासपोर्ट

प्रतीक चिह्न

भारत गणराज्य

(फ्रंट कवर के भीतर)

हिंदी रूपांतरण

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर और वे सभी जिनका इनसे संबंध हो, से अनुरोध है तथा यह अपेक्षित है कि इसके वाहक को निर्बाध रूप से पारगमन की अनुमति प्रदान करें और उन्हें वह सभी सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करें जिनकी उन्हें आवश्यकता हो।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा .....

के ..... दिवस को

..... में दिया गया

.....

.....

.....

IndiaCode

(पृष्ठ 1)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं

राजनयिक पासपोर्ट/आधिकारिक पासपोर्ट/सामान्य पासपोर्ट

भारत

पासपोर्ट की संख्या

धारक का नाम

साथ में उनकी पत्नी

(विवाह पूर्व नाम)

.....

और

बच्चे

राष्ट्रीयता स्थिति

.....

.....(पृष्ठ 2)

विवरण

व्यवसाय ..... पत्नी .....

जन्म का स्थान और तारीख .....

निवास स्थान

.....

ऊँचाई .....मी. .....सेंमी. ..... मी. ..... सेंमी. .....

आँखों का रंग .....

बालों का रंग .....

दिखाई देने वाले विशिष्ट निशान .....

बच्चे

नाम	जन्म तिथि	पुरुष/स्त्री
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(पृष्ठ 3)

धारक की फोटो

फोटो

धारक के हस्ताक्षर

पत्नी

फोटो

पत्नी के हस्ताक्षर

IndiaCode

.....

(पृष्ठ 4)

जिन देशों के लिए पासपोर्ट वैध है

.....

.....

.....

जब तक नवीकरण न किया जाए, इस पासपोर्ट की वैधता..... को समाप्त हो जाएगी

..... में जारी किया गया

दिनांक .....

.....

IndiaCode

(पृष्ठ 5)

घर का पता

भारत में स्थायी पता:

(गाँव या शहर, जिला और राज्य सहित)

.....

.....

.....

पिता/पति का नाम और उनका पूरा पता

(गाँव या शहर, जिला और संज्य सहित)

.....

.....

.....

टिप्पणियाँ

.....

.....

.....

(पृष्ठ 6)
नवीकरण

.....

(पृष्ठ 7 से 29)

वीज़ा

IndiaCode

पृष्ठ 30 से 31

यात्रा व्यय हेतु विदेशी विनिमय

इस पृष्ठ पर विदेशी विनिमय में प्राधिकृत डीलर के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा प्रविष्टियां नहीं की जाएगी

दिनांक	देश का नाम जिसके लिए विदेशी मुद्रा दी गई है	जारी की गई अथवा लौटाई गई राशि (स्टर्लिंग अथवा रु. के निकटतम)	विदेशी मुद्रा बेचने वाले प्राधिकृत डीलर की स्टेंप तथा हस्ताक्षर

(पृष्ठ 32)

टिप्पणी: 1. राजनयिक पासपोर्ट पुस्तिका का कवर मरून रंग का होगा जिसके ऊपरी कवर पर "डिप्लोमेटिक पासपोर्ट" छपा होगा।

टिप्पणी: 2. सरकारी पासपोर्ट पुस्तिका का कवर ग्रे रंग का होगा जिसके ऊपरी कवर पर "ऑफिशियल पासपोर्ट"छपा होगा।

टिप्पणी: 3. सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका का कवर गहरे नीले रंग का होगा जिसके ऊपरी कवर पर "ऑर्डिनेरी पासपोर्ट"छपा होगा।

IndiaCode

अनुसूची VI

(नियम 9 देखें)

आपातकालीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रतीक चिन्ह

आपातकालीन प्रमाण-पत्र

सं.

प्रमाणिक किया जाता है कि ..... ने मुझे आपातकालीन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है और यह कि मेरे पास उनके कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

पासपोर्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

दिनांक.....

(पृष्ठ 2)

सं.

वितरण

(क) व्यवसाय.....

(ख) राष्ट्रीय स्थिति.....
(ग) पिता/पति का नाम.....
(घ) जन्म का स्थान एवं तिथि.....
(ड) भारत में पता.....
(च) दिखने वाले विशेष निशान, यदि कोई हो तो.....
(छ) कद.....
(ज) बालों का रंग.....
(झ) आंखों का रंग.....

(पृष्ठ 3)

सं.

धारक के साथ जाने वाला बच्चा/..... बच्चे हैं जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

			बच्चे/बच्चों की जानकारी
क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि	लिंग
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			

IndiaCode

धारक की तस्वीर
धारक के हस्ताक्षर

(पेज 4)

सं.

यह प्रमाण-पत्र केवल..... रास्ते..... .. की यात्रा के लिए ही वैध है
जब तक नवीकृत न होने पर इसकी वैधता..... को समाप्त होगी

..... तक नवीकृत
..... को जारी
दिनांक.....

(पृष्ठ 5)

सं.

वीज़ा

(पृष्ठ 6)

सं.

वीज़ा

विशेष टिप्पणीः- यह आपातकालीन प्रमाण-पत्र इसके धारक को गंतव्य देश में लागू आप्रवासन संबंधी किसी विनिमयों का पालन न करने अथवा आवश्यकता पड़ने पर वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान नहीं करता।

अनुसूची VI

(नियम 9 देखें)

पहचान प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

(फ्रन्ट कवर)

भारत सरकार

(प्रतीक चिन्ह)

पहचान प्रमाण-पत्र

(फ्रंट कवर के अंदर)

पहचान प्रमाण-पत्र

यह प्रमाण-पत्र धारक को केवल राष्ट्रीय पासपोर्ट से संबंधी पहचान पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से ही जारी किया गया है। यह धारक के राष्ट्रीय स्थिति को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा और इस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि धारक राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त कर लेते है तो इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी और इसे भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकरण अथवा भारत के बाहर भारतीय मिशन अथवा केंद्र को जमा कराना होगा।

यह प्रमाण-पत्र पृष्ठ 5 में उल्लिखित देशों की यात्रा हेतु वैध है और इसकी वैधता ..... को समाप्त होगी।

(पासपोर्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव मुहर)

स्थान.....

दिनांक.....

(पृष्ठ 1)

इस पहचान प्रमाण-पत्र
में 13 पृष्ठ हैं

पहचान प्रमाण-पत्र

भारत

पहचान प्रमाण-पत्र की संख्या.....

धारक का नाम.....

मूल राष्ट्रीयता.....

(पृष्ठ 2)

सं.

निजी जानकारी

व्यवसाय.....

जन्मतिथि.....

IndiaCode

जन्म स्थान.....
पिता/पति का नाम.....
माता का नाम.....
कद.....
बालों का रंग.....
आंखों का रंग.....

(पृष्ठ 3)

सं.

दिखने वाले विशेष निशान, यदि कोई हो तो.....
वर्तमान व्यवसाय.....
पिछला स्थाई पता.....
विदेश
वर्तमान पता.....

(पृष्ठ 4)

सं.

धारक के साथ जाने वाला एक बच्चा/..... बच्चे हैं जिनकी जानकारी नीचे दी गई है

बच्चे/बच्चों की जानकारी

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि	लिंग
1.....			
2.....			
3.....			
4.....			
5.....			

धारक के हस्ताक्षर

धारक की तस्वीर

(पृष्ठ 5)

सं.

पृष्ठांकन

(पृष्ठ 6 और 7)

सं.

नवीकरण

IndiaCode

(पृष्ठ 8 से 13)

सं.

दीज़ा

[सं. एफ. VI/401/26/67-Vol.II.]
एस बिक्रम शाह, सं. सचिव

IndiaCode